

## दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 02.11.2023  
घोषित : 07.11.2023

रि.या.(सि.) 11877/2023

श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ  
श्री किशोर कुणाल और सुश्री अंकिता  
प्रकाश, अधिवक्तागण

बनाम

डिएटी कमिश्नर ऑफ इनकम  
टैक्स टीडीएस सर्कल 77(1)  
और अन्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

श्री संजय कुमार, सुश्री ईशा, सुश्री हेमलता  
रावत, आयकर विभाग के स्थायी  
अधिवक्तागण

**कोरमः**

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति  
माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, मु.न्या.

रि.या.(सि) 11877/2023

पृष्ठ सं. 1

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता यानी, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल के खुदरा व्यापार के कारोबार में लगी हुई है, प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात्, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ("आईटी अधिनियम") ("आक्षेपित आदेश") के तहत आयकर उपायुक्त टीडीएस सर्कल 77(1) द्वारा जारी 29.05.2023 के प्रमाण पत्र के साथ सहपठित याचिकाकर्ता को संबोधित प्रत्यर्थी सं. 1 का दिनांक 29.05.2023 का पत्र ("आक्षेपित पत्र") (इसके बाद, आक्षेपित आदेश और आक्षेपित पत्र को सामूहिक रूप से "आक्षेपित कार्गवाई" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) चुनौती देना चाहती है।

2. इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने आयकर नियम, 1961 ("आईटी नियम") के फॉर्म-13 के साथ आईटी अधिनियम की धारा 197 के तहत दिनांक 01.03.2023 को कर की कम कटौती प्रमाणपत्र ("एलडीसी") की तुलना में वित्तीय वर्ष ("वि.व.") 2023-2024 ("आवेदन") के लिए आईटी अधिनियम की धारा 194ण के तहत 1% (एक प्रतिशत) की दर से स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") की मांग के लिए आवेदन दायर किया था।

3. जाहिर है, याचिकाकर्ता ने आवेदन के माध्यम से 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) की दर से टीडीएस कटौती की अनुतोष देने वाला एलडीसी जारी करने की मांग की। इसके बाद, (i) 03.03.2023 को; (ii) 16.03.2023; और (iii) 01.04.2023 को, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे, अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति का विवरण, पिछला एलडीसी जारी करने का विवरण, निर्धारित वित्त वर्ष का वित्तीय विवरण, आय कर विवरणी की प्रतियां ("आईटीआर"), अग्रिम कर का विवरण, बकाया कर मांगों का विवरण (i) रु.21,71,356; और (ii) रु.60990 आदि को ठीक करना। इस संबंध में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर पत्राचार के द्वारा दिनांक (i) 03.03.2023; (ii) 18.03.2023; और (iii) 13.04.2023 को दिया था।

4. इसके अलावा, याचिकाकर्ता अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 18.04.2023 को प्रत्यर्थी सं. 1 के कार्यालय गया और प्रस्तुत किया अन्य बातों के साथ-साथ कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के कारण एलडीसी दिया जाना चाहिए कि:

(क) याचिकाकर्ता का अनुमानित कर से कुल बिक्री का अनुपात 0.012% (शून्य दशमलव शून्य एक दो प्रतिशत) है, अर्थात्, 1% (एक प्रतिशत) की दर से कटौती की जाने वाली टीडीएस से काफी कम;

(ख) याचिकाकर्ता की अनुमानित कर देयता रु.1,04,00,000 (भारतीय रुपये एक करोड़ चार लाख) की राशि तक बढ़ गई है, जबकि परिचालन से अनुमानित राजस्व रु.8810,00,00,00,000 (भारतीय रुपये आठ हजार आठ सौ दस करोड़) है;

(ग) वित्त वर्ष '19-20', '20-21' और '21-22' में याचिकाकर्ता कर से कुल

बिक्री

का अनुपात 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) था; और

(घ) कि याचिकाकर्ता ने टीडीएस की कटौती की 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) दर के तहत रु.45,05,00,000 (भारतीय रुपये पैंतालीस करोड़ पांच लाख) तक कर वापसी का अनुमान लगाया है।

5. इसके बाद, 19.04.2023 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वित्त वर्ष '22-23' के लिए याचिकाकर्ता के अनुमानित कुल बिक्री के बीच विसंगतियों के संबंध में कुछ अतिरिक्त प्रश्न उठाए गए थे। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.04.2023 को उत्तर के माध्यम से इसका विधिवत जवाब दिया गया। इसके अलावा, उपरोक्त प्रश्नों को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा 12.05.2023 को दोहराया गया था। दिनांक 17.05.2023 को उत्तर के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दोहराया कि वित्त वर्ष '22-23' के लिए

अनुमानित कारोबार में अभिज्ञात अलाभकारी उत्पादों की बिक्री को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण भिन्नता देखी गई। तदनुसार, यह कहा गया था कि हालांकि याचिकाकर्ता का कारोबार कम हो गया था, लेकिन समग्र लाभप्रदता याचिकाकर्ता के अनुमान से अधिक थी।

6. इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा आक्षेपित कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को एलडीसी जारी किया, जिसमें आवेदन के तहत याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) के मुकाबले 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) की दर से टीडीएस कटौती की अनुमति दी गई थी।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तरुण गुलाटी द्वारा उठाया गया प्रमुख तर्क यह है कि आईटी नियमों के नियम 28कक आदेश का पालन किए बिना, आक्षेपित कार्रवाई यांत्रिक रूप से की गई है। इस संबंध में, श्री गुलाटी **कैमियंस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी, 2020** एससीसी ऑनलाइन दिल 1821 पर भरोसा किए हैं।

8. इसके अलावा, यह जोरदार तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश नॉन-स्पीकिंग है और तदनुसार, 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) की दर से टीडीएस की

कटौती की अनुमति देने वाले एलडीसी की मांग करने वाले आवेदन की अस्वीकृति का कोई कारण नहीं बताया गया है।

9. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित श्री संजय कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष जोरदार तर्क दिया है कि एलडीसी जारी करना अधिकार का विषय नहीं है और एलडीसी जारी करना आईटी अधिनियम की धारा 192-195 की कठोरता का अपवाद है। तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आईटी अधिनियम की धारा 197 के तहत राहत देने का औचित्य साबित करने का भार पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर है, जो उसके अनुसार उचित रूप से निर्वहन नहीं किया गया है।

10. तदनुसार, यह तर्क दिया गया है कि (i) वित्त वर्ष '22-23' के लिए याचिकाकर्ता के अनुमानित खाते अविश्वसनीय पाए गए; (ii) याचिकाकर्ता का टीडीएस चूक का इतिहास है; और (iii) याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोधित टीडीएस की दर यानी 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) पूरी तरह से अनुचित है।

11. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता(ओं) को सुना और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।

12. गौरतलब है कि, इस न्यायालय ने दिनांक 06.09.2023 के आदेश तहत आक्षेपित पत्र के साथ सहपाठित आक्षेपित प्रमाणपत्र के बारे में अवलोकन पर प्रथम

दृष्ट्या पाया, कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि टीडीएस 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) की दर से काटा जाना चाहिए, को स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्री संजय कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुरोध पर, प्रत्यर्थीगण को इस मामले में एक प्रति-शपथपत्र दायर करने का अवसर दिया गया था जो आक्षेपित आदेश में पहुंचे निष्कर्ष के संबंध में कारण प्रस्तुत करता। हालाँकि, इस न्यायालय ने विशेष रूप से उसमें कहा कि आक्षेपित आदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और तदनुसार, प्रति-शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कारणों को आक्षेपित आदेश में नहीं बदला जा सकता है।

13. इस समय **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त**, (1978) 1 एससीसी 405 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ("उच्चतम न्यायालय") के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने शपथपत्र के माध्यम से कार्यपालिक आदेश के संबंध में पूरक कारणों की नोटेशन को खारिज कर दिया था। प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"8. दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब एक सांविधिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर एक आदेश देता है, तो इसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से अंका जाना चाहिए और शपथपत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा

सकता है। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश हो, जब तक यह एक चुनौती के कारण अदालत में आता है, बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। हम यहां गोरधनदास भानजी [पुलिस आयुक्त, बॉम्बे बनाम गोरधनदास भानजी, 1951 एससीसी 1088: एआईआर 1952 एससी 16] में बोस, जे. की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं:

"सांविधिक प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए सार्वजनिक आदेशों को आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के आलोक में नहीं समझा जा सकता है कि उसका क्या मतलब था, या उसके दिमाग में क्या था, या वह क्या करना चाहता था। क्रान्तीकृत्यकारी लोक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उनका उद्देश्य उन लोगों के कार्यों और आचरण को प्रभावित करना होता है जिन्हें उन्हें संबोधित किया जाता है और आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए।

आदेश पुरानी शराब की तरह नहीं होते, जो ज्यों-ज्यों वे पुराने होते जाते हैं, त्यों-त्यों वे बेहतर होते जाते हैं।"

14. तदनुसार, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि **मोहिंदर सिंह गिल (पूर्वोक्त)**, में प्रतिपादित सिद्धांत यहां इस मामले पर लागू होता है। इसलिए इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आक्षेपित पत्र के साथ सहपठित आक्षेपित आदेश, स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश है ताकि आईटी नियमों के

नियम 28कक आदेश को पूरा किया जा सके, जो इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण प्रति-शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत किए हैं, कारणों से रहित है।

15. हमने आक्षेपित पत्र के साथ सहपठित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है और हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण आवेदन के अनुरूप हैं, अर्थात्, याचिकाकर्ताओं का यह अनुरोध है कि टीडीएस 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) की दर से कटौती नहीं की जानी चाहिए, राजस्व और कर देयता के अनुमानित अनुमानों के औचित्य के संबंध में व्यापक सामान्यीकरण पर टिका है, और तदनुसार यांत्रिक रूप से जारी किया गया है जो बुद्धि के नहीं प्रयोग को दर्शाता है।

16. तदनुसार, **कैमियंस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त)** में इस न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित पत्र के साथ सहपठित आक्षेपित आदेश बुद्धि के नहीं प्रयोग से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह होगा। इस प्रकार, हम आक्षेपित कार्रवाइयों को अपास्त करते हैं और मामले को यथाशीघ्र कानून के अनुसार आवेदन का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए प्रत्यर्थी सं.1 को वापस भेजते हैं।

17. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, और लंबित आवेदन(नों) (यदि कोई हो) का निपटान किया जाता है।

(सतीश चंद्र शर्मा)  
मुख्य न्यायमूर्ति

(तुषार राव गेडेला)  
न्यायाधीश

7 नवंबर, 2023

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रामाणित माना जाएगा और कायन्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।